विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में एक सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा – **"ई–पंजीयन (सम्पदा)"** तथा दो लेखापरीक्षाओं **"मध्यप्रदेश कर अधिनियम 2002 की धारा 46 के अंतर्गत अपील एवं रिमाण्ड प्रकरणों का निवर्तन"** तथा **"विद्युत शुल्क, फीस तथा उपकर का आरोपण एवं संग्रहण"** सहित 52 कंडिकाएं सम्मिलित है जिनमें ₹ 970.62 करोड़ की राशि अंतर्निहित है। विभागों/शासन ने ₹ 183.88 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है जिसमें से ₹ 2.50 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

विगत वर्ष में ₹ 88,640.78 करोड़ के विरूद्ध, वर्ष के दौरान राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,05,510.60 करोड़ थीं। इस राशि का 46 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा कर राजस्व (₹ 40,240.43 करोड़) तथा कर–भिन्न राजस्व (₹ 8,568.80 करोड़) के रूप में वसूल किया गया। शेष 54 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्यांश (₹ 38,371.06 करोड़) तथा सहायक अनुदान (₹ 18,330.31 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ।

(कंडिका 1.1.1)

वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, भू–राजस्व, खनन प्राप्तियों तथा विद्युत शुल्क की 396 इकाईयों के अभिलेखों की वर्ष 2015–16 के दौरान की गई नमूना जाँच में 6,45,050 प्रकरणों में ₹ 2,229.45 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला। संबंधित विभागों द्वारा 64,031 प्रकरणों में ₹ 868.37 करोड़ के कम आरोपण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया गया जो कि वर्ष 2015–16 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये थे। विभागों द्वारा इस वर्ष के लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर 7,403 प्रकरणों में ₹ 6.55 करोड़ की वसूली भी की गई।

(कंडिका 1.9)

II. मुद्रांक एवं पंजीयन फीस

सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा – "ई–पंजीयन (सम्पदा)" से पता चला कि :

विभाग अपनी स्वयं की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सहायता टीम को विकसित नहीं कर सका, यद्यपि विभाग के कम्प्यूटरीकरण की परिकल्पना वर्ष 2000 में की गई थी।

(कंडिका 2.4.11.3)

सॉफ्टवेयर के विकास में असामान्य विलंब के बावजूद विभाग ने सॉफ्टवेयर विक्रेता पर ₹ 82.01 लाख की राशि की शास्ति नहीं लगायी।

(कंडिका 2.4.12.1)

विभाग ने विक्रेता द्वारा सॉफ्टवेयर में किए गए परिवर्तन के लिए सॉफ्टवेयर विक्रेता को ₹ 1.53 करोड़ का भुगतान किया था यद्यपि, यह कार्य की परिधि में था।

(कंडिका 2.4.12.3)

लेगेसी डेटा डिजिटाइज नहीं किया गया जैसा परिकल्पित था, जिसकी अनुपस्थिति से एक ही संपत्ति के बहुविध विक्रय की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(कंडिका 2.4.12.4)

हार्डवेयर विक्रेता को एकीकरण और परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किए बिना ₹ 3.73 करोड़ का भुगतान जारी किया गया था।

(कंडिका 2.4.13.1)

चार सौ तीन प्रकरणों में ₹ 4.08 करोड़ के ऋणात्मक खातों के बावजूद ई–स्टाम्प उत्पन्न किये गये थे और सेवा प्रदाताओं को कमीशन का भुगतान भी किया गया था।

(कंडिका 2.4.16.7)

संपदा प्रणाली में पर्यवेक्षी नियंत्रण के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 1.90 करोड़ के पंजीयन फीस और मुद्रांक शुल्क की कम वसूली हुई।

(कंडिका 2.4.16.8)

उपयोगकर्ताओं की शिकायतों और फीडबैक पर प्रतिक्रिया विलंबित थी। संपदा में प्राप्त 3,360 शिकायतों में से 2,534 अनिर्णीत रहीं। दो सौ चालीस अंतिम उपयोगकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच संपदा के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान 142 उत्तरदाताओं में से 73 ने असंतोष व्यक्त किया।

(कंडिका 2.4.32)

ई–पंजीयन प्रणाली में ऐसा कोई तंत्र नहीं था जिसके अंतर्गत सेवा प्रदाता द्वारा किए गए ई–भुगतान के माध्यम से अथवा कोषालय के माध्यम से साइबर कोषालय की सभी प्राप्तियों का पुनर्मिलान किया जा सके।

(कंडिका 2.4.36)

उप पंजीयकों द्वारा संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु मुद्रांक (जिला पंजीयक) को संदर्भित प्रकरणों का निराकरण समय पर नहीं किया गया, यद्यपि कलेक्टर द्वारा प्रकरणों के निराकरण के लिये निर्धारित तीन माह की अवधि समाप्त हो गई थी।

(कंडिका 2.5)

यद्यपि 297 विलेखों में संबंधित वर्ष की गाईडलाइन के अनुसार संपत्ति का बाजार मूल्य अधिक था, 42 उप पंजीयकों द्वारा ये विलेख संपत्तियों के बाजार मूल्य की सही गणना हेतु मुद्रांक कलेक्टर की ओर संदर्भित नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.89 करोड़ का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस कम आरोपित किया गया।

(कंडिका 2.6)

कॉलोनाइजर द्वारा विकास कार्य करने के लिए प्रतिभूति के रूप में बंधक रखे गये भू–खण्डों का पंजीयन नहीं किया गया। इन भू–खण्डों पर अनुमानित विकास व्यय ₹ 54.24 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप अनुमानित विकास व्यय की लागत पर ₹ 97.41 लाख का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित नहीं किया गया।

(कंडिका 2.7)

III. वाणिज्यिक कर

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 46 के अन्तर्गत अपील एवं रिमाण्ड प्रकरणों का निवर्तन पर लेखापरीक्षा से पता चला कि :

कुल 6,229 प्रकरणों में, जिसमें कर राशि ₹ 434.17 करोड़ सम्मिलित थी, करदाता के पक्ष में आदेश पारित करने के पूर्व संबंधित निर्धारण प्राधिकारियों का अभिमत नहीं लिया गया।

(कंडिका 3.3.7.1)

दो सौ छप्पन प्रकरणों में अपीलीय प्राधिकारियों ने घोषणापत्रों या प्रमाणपत्रों को स्वीकार किया और राशि ₹ 19.92 करोड़ की राहत अपीलकर्ताओं को दी, यद्यपि निर्धारण और अपील नस्ती में घोषणापत्रों/प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाने हेतु आवेदन नहीं पाए गए थे।

(कंडिका 3.3.7.2)

अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा 12 व्यवसायियों के 30 प्रकरणों में राशि ₹ 1.08 करोड़ की शास्ति त्रुटिपूर्ण रीति से माफ की गई।

(कंडिका 3.3.7.3)

कुल 476 प्रकरणों में अपीलीय प्राधिकारियों ने अपीलकर्ता के पक्ष में ₹ 291.86 करोड़ के कर की राहत प्रदान की किंतु आयुक्त द्वारा यह पता लगाने के लिये कि द्वितीय अपील आवश्यकता नहीं थी, इन प्रकरणों की कोई संवीक्षा नहीं की गई।

(कंडिका 3.3.8)

ग्यारह कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा टर्नओवर निर्धारित करते समय विक्रय मूल्य में कर शामिल न होने पर भी कुल विक्रय राशि पर 11 व्यवसायियों के 12 प्रकरणों में कर की छूट दी गई। इस अनियमित छूट की स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 8.76 करोड़ के कर एवं ₹ 22.60 करोड़ की शास्ति का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 3.4)

बीस कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा 24 व्यवसायियों के 27 प्रकरणों में ₹ 75.29 करोड़ के टर्नओवर पर गलत दर से कर का आरोपण किये जाने के परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 5.70 करोड़ सहित ₹ 11.23 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 3.5)

अठ्ठाईस कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा 47 व्यवसायियों के 51 प्रकरणों में ₹ 6.76 करोड़ के आगत कर की छूट स्वीकृत की गई जो कि वैट अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 3.56 करोड़ सहित ₹ 10.32 करोड़ के कर का कम संग्रहण हुआ।

(कंडिका 3.6.1)

चौंतीस कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा 53 व्यवसायियों के 56 प्रकरणों में व्यवसायियों के अंकेक्षित खाते/विक्रय सूची एवं सुसंगत अभिलेखों में दर्ज कर योग्य टर्नओवर के विरूद्ध राशि ₹ 51.63 करोड़ के कर के कम निर्धारण किये जाने के परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 5.22 करोड़ तथा ब्याज ₹ 1.90 करोड़ सहित कुल राशि ₹ 10.24 करोड़ के कर का आरोपण नहीं किया जा सका।

(कंडिका 3.7)

छत्तीस कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा 58 व्यवसायियों के 59 प्रकरणों में लोहा एवं इस्पात, मशीनरी, एच.डी.पी.ई. शीट, टी.एम.टी. बार, कोयला, चूना पत्थर, टाइल्स इत्यादि, वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर ₹ 184.43 करोड़ का प्रवेश कर या तो आरोपित नहीं किया गया था या गलत दर से आरोपित किया गया था अथवा व्यवसायियों से निर्धारित प्रोफार्मा में घोषणा–पत्र प्राप्त किये बिना प्रवेश कर की छूट दी गई। इसके परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 2.01 करोड़ सहित ₹ 9.27 करोड़ के प्रवेश कर की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 3.8)

चार कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा चार व्यवसायियों के चार प्रकरणों में धारा 21 के अन्तर्गत वसूली योग्य शास्ति का आरोपण नहीं किया गया जबकि कर निर्धारण में त्रुटियों के लिए व्यवसायी उत्तरदायी था। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 5.39 करोड़ के राजस्व का कम संग्रहण हुआ।

(कंडिका 3.9)

कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा टर्नओवर की त्रुटिपूर्ण गणना की गई व ठेकेदार द्वारा परियोजना में उपयोग हेतु क्रय की गई कुछ सामग्रियों पर कर आरोपित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.48 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 3.10)

IV. विद्युत शुल्क

''विद्युत शुल्क, फीस तथा उपकर का आरोपण एवं संग्रहण'' पर लेखापरीक्षा से पता चला कि :

ऊर्जा विकास उपकर की राशि ₹ 325.17 करोड़ का उपयोग उन प्रयोजनों में नहीं किया गया था जिसके लिये उपकर आरोपित किया था तथा विभाग ने ऊर्जा विकास उपकर की राशि ₹ 88.22 करोड़ को समय से विद्युत विकास निधि में स्थानांतरित नहीं किया था।

(कंडिका 4.2.9)

विभाग ने विद्युत वितरण कंपनियों के बकाया शेषों पर ब्याज ₹ 272.11 करोड़ आरोपित नहीं किया।

(कंडिका 4.2.10)

ओरियंट पेपर मिल्स लिमिटेड द्वारा विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट के लिए औपचारिक आवेदन किये बिना तथा छूट के लिए पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना विद्युत शुल्क के भुगतान से स्वतः छूट मान लिया गया। परिणामस्वरूप विद्युत शुल्क की राशि ₹ 51.79 करोड़ ब्याज सहित प्राप्त नहीं हो सकी।

(कंडिका 4.2.11)

शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य विद्युत ऊर्जा खपत के लिए अलग–अलग मीटर स्थापित नहीं गये थे परिणामतः विभाग को राशि ₹ 16 करोड़ के राजस्व की हानि हुई थी।

(कंडिका 4.2.12)

विभाग विद्युत संस्थापनाओं के वार्षिक निरीक्षण का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका, जिससे मध्यम तथा उच्चदाब विद्युत संस्थापनाओं की सुरक्षा जोखिम में थी। इसके अतिरिक्त निरीक्षण फीस की राशि ₹ 11.35 करोड़ भी अप्राप्त थी।

(कंडिका 4.2.13)

शुल्क की त्रुटिपूर्ण दर लगाये जाने के कारण उच्चदाब उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क ₹ 1.43 करोड़ की कम वसूली हुई।

(कंडिका 4.2.14)

V. खनन प्राप्तियाँ

पट्टेदार द्वारा आवंटित खदानों पर निर्धारित तिथि पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया गया जबकि उसके द्वारा राज्य शासन की औद्योगिक नीति के तहत मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस में छूट का लाभ लिया गया था। पट्टा आवंटन के अनुबन्ध पर

अनुबन्ध की शर्तों को पूर्ण न करने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस पर दी गई छूट की राशि ₹ 9.46 करोड़ एवं उस पर देय ब्याज की राशि ₹ 8.08 करोड़, विभाग द्वारा वसूल नहीं की गई।

(कंडिका 5.4)

छः जिला खनिज कार्यालयों में 22 खनि पट्टों/उत्खनि पट्टों के अनुबन्ध, असम्यक रूप से मुद्रांकित अनुबंध किये गये। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 4.19 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 5.5.1)

एक जिला खनिज कार्यालय में विभागीय अनुदेशों के अनुसार संविदा धन की पूरी राशि पर मुद्रांक शुल्क का आरोपण करने के स्थान पर, तीन व्यापारिक खदानों के अनुबंध कम राशि के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किये गये, परिणामस्वरूप ₹ 7.66 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई।

(कंडिका 5.5.2)

अवधि 2014–15 के लिए 10 जिला खनिज कार्यालयों में 99 खनि पट्टेदारों द्वारा देय ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर की भुगतान योग्य राशि ₹ 17.89 करोड़ के विरूद्ध ₹ 11.91 करोड़ का भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 5.98 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

(कंडिका 5.6)

छः जिला खनिज कार्यालयों में पट्टेधारकों द्वारा रॉयल्टी के विलंबित भुगतानों पर विभाग द्वारा नियमों के प्रावधानों के अनुसार 18 खनि पट्टेधारकों पर ब्याज ₹ 5.67 करोड़ का आरोपण नहीं किया।

(कंडिका 5.7)

VI. राज्य उत्पाद शुल्क

तीन आबकारी कार्यालयों में, विदेशी मदिरा/बीयर के लाइसेंसधारियों द्वारा गंतव्य इकाई के प्रभारी अधिकारी से 175 परमिटों के आबकारी सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त कर, निर्यात/परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किये गये। निर्यात/परिवहन की गई 7,93,797.56 प्रुफ लीटर विदेशी मदिरा एवं 3,87,165 बल्क लीटर बीयर जिसमें उत्पाद शुल्क की राशि ₹ 62.27 लाख, बीयर पर एवं ₹ 16.99 करोड़ मदिरा पर अंतर्निहित थी, के आबकारी सत्यापन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गए।

(कंडिका 6.4)

दो आबकारी कार्यालयों में, 11 लाइसेंसधारियों ने 12 लाइसेंसों के माध्यम से, बिना लाइसेंस फीस दिये स्वापक पदार्थों का व्यापार किया। जिला कलेक्टर ने उनके लाइसेंसों का प्रतिसंहरण नहीं किया जो कि राजपत्रीय अधिसूचना के विरूद्ध था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.15 करोड़ की लाइसेंस फीस की कम वसूली हुई।

(कंडिका 6.5)

निविदा दस्तावेज के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मध्यप्रदेश के 51 जिलों के 107 भण्डागारों में अति लघु अपरचर टर्मिनल (वीसेट) संयोजन के प्रबंध नहीं किये गए। विभाग द्वारा भंडागारों पर राशि ₹ 6.05 करोड़ की शास्ति भी आरोपित नहीं की गई।

(कंडिका 6.6)

बाईस आबकारी कार्यालयों में देशी मदिरा लायसेंसधारियों द्वारा बोतल बंद देशी मदिरा का न्यूनतम स्कन्ध 48 देशी मदिरा भण्डागारों एवं छः बाटलिंग इकाईयों में नहीं रखा गया। लायसेंसधारियों द्वारा नियम विरूद्ध कार्य करने एवं नियमों का लगातार उल्लंघन करने पर राशि ₹ 2.76 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गई।

(कंडिका 6.7)

छः आबकारी कार्यालयों में, विदेशी मदिरा, बीयर तथा ई.एन.ए. के निर्यात/परिवहन के दौरान अनुमत्य सीमा से अधिक हानि विदेशी मदिरा के प्रकरण में 1,22,329.50 प्रूफ लीटर, बीयर के प्रकरण में 9,035.58 बल्क लीटर तथा ई.एन.ए. के प्रकरण में 15,940.79 प्रूफ लीटर हुई। इस अधिक हानि पर विभाग ने छः लाइसेंसियों पर ₹ 2.51 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की।

(कंडिका 6.8)

पन्द्रह आबकारी कार्यालयों में वैट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विभाग द्वारा देशी मदिरा के खुदरा व्यापारियों के 31 मार्च 2013 के अंतिम स्कंध जिसका विक्रय 1 अप्रैल 2013 या उसके पश्चात् किया गया, पर वैट की वसूली नहीं की गई। परिणामस्वरुप ₹ 45.25 करोड़ के अंतिम स्कंध पर वैट की राशि ₹ 2.26 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी।

(कंडिका 6.9)

उच्चतम बोली कर्त्ता की राशि ₹ 8,68,77,777 की उच्चतम बोली का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि वित्तीय बोली के साथ प्रस्तुत बयाना राशि का चैक निर्धारित राशि ₹ 72,39,814.75 से 75 पैसे कम था। इसके परिणामस्वरूप दुकानें, दूसरे उच्चतम बोली वाले को दी गई, जिसका प्रस्ताव उच्चतम बोली वाले से ₹ 67.65 लाख कम था।

(कंडिका 6.10)

VII. वाहनों पर कर

सत्ताईस कार्यालयों में आरक्षित यानों के रूप में रखे गये 4,031 लोक सेवा यानों, माल यानों, मेक्सी कैब यानों, मंजिली गाड़ियों, अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्र पर प्रचालित लोक सेवा यानों तथा अर्थमूवर/हार्वेस्टर पर वाहन कर ₹ 13.09 करोड़ तथा शास्ति ₹ 9.14 करोड़ का भुगतान न तो वाहन स्वामियों द्वारा किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसके माँग पत्र जारी किये गये पाये।

(कंडिका 7.4)

ग्यारह कार्यालयों में 155 निजी सेवा यानों के संबंध में वाहन कर त्रूटिपूर्ण ढंग से शैक्षणिक संस्था वाले वाहनों के लिए लागू दर से लगाया गया था। वाहन कर की त्रूटिपूर्ण दर का पता लगाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.20 करोड़ के कम राजस्व की प्राप्ति हुई।

(कंडिका 7.5)

VIII. भू–राजस्व

ग्राम पंचायत क्षेत्रों में स्थित भूमि के व्यपवर्तन के 473 प्रकरणों में नौ कलेक्टर कार्यालयों एवं 12 तहसील कार्यालयों द्वारा भू–भाटक एवं प्रब्याजि पर पंचायत उपकर की मांग एवं आरोपण नहीं किये जाने के कारण शासन को ₹ 2.48 करोड़ से वंचित होना पड़ा।

(कंडिका 8.4)

विभाग ने वर्ष 2007–08 से 2015–16 के मध्य राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों के विरूद्ध चार कलेक्टर कार्यालयों तथा 17 तहसील कार्यालयों द्वारा की गई ₹ 40.22 करोड़ की वसूली पर ₹ 1.14 करोड़ के प्रक्रिया व्यय की राशि की वसूली नहीं की गयी।

(कंडिका 8.5)